फर्द अहकाम

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

श्रीमती धमली देवी वगैरह बनाम राज0 सरकार वगैरह

केस संख्या ....107..../2022 प्रा0पत्र पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2/12/22	प्रार्थीगण श्रीमती धमली देवी पत्नि मोहनलाल, श्रीमती मक्खनी देवी पत्नि रामकरण व मुकेश कुमार पुत्र हनुमान सहाय जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं0 17 खोरी रोड भैरूवाला शाहपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 245/1 रकबा 0.13 है0, 241/3 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 245/5 रकबा 0.02 है0, 246/1 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 रकबा 0.37 है0 ख0नं0 241/2 रकबा 0.28 है0, 245/2 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 245/6 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 246/2 रकबा 0.07 है0 246/3 रकबा 0.87 है0 कुल किता 5 रकबा 1.31 है0 वाके ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथाा आराजी खसरा नम्बर 231/3905 रका 0.48 है0, ख0नं0 232/1 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 232/4 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 234/3 रकबा 0.03 है0, 236/5 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 238/3 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 239/4 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 241/5 रकबा 0.05 है0, कुल किता 8 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/40, 1/40, 1/40 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, तथा आराजी ख0नं0 246/6 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 23/120, 23/120, 23/120 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार है जिन्होने ने प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है और रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने तथा मौके पर कब्जा करने के फिराक में है जिस कारण मौके पर पुख्ता पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 241/2, 245/2, 245/6, 246/2, 241/3, 245/5, 246/1, 245/1 वाके ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा का उप तहसीलदार मनोहरपुर के आदेश कमांक/सीमा/76 दिनांक 27.10.2022 की पालना में दिनांक 17.11.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त आराजी के पडौसी कास्तकारों द्वारा सींव डोल सीमा विवाद व सीमा को काट काट कर अपनी ओर मिलाते रहने के कारण तथा टोकने पर आमादा फिसाद करते रहने के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया उक्त आराजी जिसका पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है का पडौसी कास्तकारों से आये दिन होने वाले विवादों से निपटारा हेतु पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया । प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 17.11.2022 को किया जा चुका है तथा भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा तथा पडौसी काश्तकारों के द्वारा सींव डोल काटने से होने वाले आये दिन विवादों से बचने हेतु पुख्ता सीमा चिन्हीकरण हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है , जो एक खातेदार का अधिकार है कि वह अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करवा सकें, तथा इससे होने वाले विवादों का स्थायी समाधान हो सकें । अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का किये जाने का आवश्यक प्रकृति का मानते हुए तथा राज्य सरकार की मंशा के अनुसार प्रार्थना पत्रों का शिघ्र निस्तारण हेतु आदि को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 241/2, 245/2, 245/6, 246/2, 241/3, 245/5, 246/1, 245/1 वाके ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 17.11..2022 के अनुसार आस पास के पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हों । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । (मनमोहन मीना) उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जिला) जयपुर	